

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अयुब अली बनाम साबिर अली प्रार्थना पत्र बाबत अपील रेस्टोरेशन</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जाशी हुए ।</p>
--------------------	---	--

16.05.24

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 27.09.2023 जो अपील अधिकरण द्वारा पारित किया गया, के पेश हुई।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) में “ Any Senior Citizen or a parent, as the case may be. Aggrieved by an order of Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate Tribunal; स्पष्ट किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील रेस्टोरेशन बाबत पूर्व में निर्णित अपील आदेश दिनांक 27.09.2023 के विरुद्ध 222 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश किया गया तथा लम्बी अवधि के विलम्ब से प्रस्तुत करने को कोई उचित कारण नहीं बतलाया गया। द्वितीयक उक्त प्रकरण में अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक की श्रेणी में नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रार्थना अपील रेस्टोरेशन बाबत ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।



he

(गौरव अग्रवाल)

अपील अधिकरण

जिला कलक्टर (मजिस्ट्रेट), जोधपुर

अपील अधिकरण

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

